

25.042024:—आज पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नही आए। वादी का मूल वादपत्र अदम/हाजरी मे खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते

@wyo.

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy - Not

